न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-256 RAAJodhpur2022-108RTA223 Ganpatram Vs Prakashram etc

गणपतराम पुत्र देवाराम जी जाति विश्नोई, निवासी- भीयासर, (जम्भ नगर)फलोदी

--- **अपीलाण्ट**

ब

ना

म

1. प्रकाशराम पुत्र देवाराम
2. भारमलराम पुत्र देवाराम
3. जोधाराम पुत्र देवाराम जातियान् विश्नोई निवासीगण- भीयासर जंभसागर फलौदी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी।

--- **रेस्पोडेण्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 जनवरी 2020 राजस्व वाद संख्या 387/2019 प्रकाशराम बनाम भारमलराम इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री हनुमान प्रजापति, अधिवक्ता अपीलांट

श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1

श्री चांद कंवर, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2 व 3

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 4

(2)2022-255RAAJodhpur2022-107RTA223 Ganpatram Vs Prakashram etc

गणपतराम पुत्र देवाराम जी जाति विश्नोई, निवासी- भीयासर, (जम्भ नगर)फलोदी

--- **अपीलाण्ट**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ब

ना

म

1. प्रकाशराम पुत्र देवाराम
02. भारमलराम पुत्र देवाराम
03. जोधाराम पुत्र देवाराम जातियान् विश्नोई निवासीगण- भीयासर जंभसागर फलौदी।
04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 फरवरी 2021 राजस्व वाद संख्या 387/2019 प्रकाशराम बनाम भारमलराम इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -
श्री हनुमान प्रजापति, अधिवक्ता अपीलांट
श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1
श्री चांद कंवर, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2 व 3
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 4

नि र्ण य

दिनांक : 14 दिसंबर 2022

सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 387/2019 प्रकशराम बनाम भारमलराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07 जनवरी 2020 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24 फरवरी 2021 के खिलाफ आलौच्य अपीले

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 16 जून 2022 को पेश की गयी है।

दोनो अपीलो में समान पक्षकार होने एवं समान विषय वस्तु एवं प्रकृति की होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है।

अपीलांट द्वारा अपीलों के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पेश कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

अपील संख्या 108/2022 में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत डिफेंसवीथ करने प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रतिलिपि की छूट प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. संख्या एक ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1299 रकबा 162.09 बीघा ग्राम भीयासर तहसील फलोदी के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07 जनवरी 2020 को प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित कर तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी की गई, दोनो निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध आलौच्य अपीले प्रस्तुत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेकर्ड से परे जाकर बिना दस्तावेजों का मनन किये, बिना साक्ष्य के ही निर्णय व डिक्री पारित कर कानूनी व भारी भूल की है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयां पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही अपीलांट को कोई नोटिस तामील करवाये गये और न ही विधि अनुरूप प्रक्रिया का पालन किया, अपितु रेस्पोडेंट वाद द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश कर एकतरफा तौर पर प्राथमिक डिक्री जारी करवा दी जो निरस्त किये जाने योग्य है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोसेस से नोटिस जारी किये बगैर ही सीधे ही रजिस्टर्ड ए डी से नोटिस प्रेषित करने का आदेश पारित कर जरिये रजिस्टर्ड ए डी नोटिस के अपीलांट पर तामील बता कर अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए आगे की कार्यवाही में निर्णय पारित कर दिया, जबकि अपीलांट पर किसी भी रूप में नोटिस तामील नहीं हुई और न ही उपरोक्त वाद की कोई जानकारी वादी को हुई, जिससे वादी अपना पक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसकी आड़ में वादी ने एकतरफा तौर पर अन्य रेस्पोडेंट्स से सांठ-गांठ कर प्राथमिक डिक्री जारी करवा दी। जिस तथाकथित भागीरथ पर तामील बता कर अपीलांट की उपस्थिति दर्ज करवाई, जबकि तथाकथित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भागीरथ से अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है और न ही किसी के मार्फत उपरोक्त वाद की कार्यवाही की जानकारी अपीलांट को हुई। ऐसी स्थिति में उपरोक्त एकतरफा कार्यवाही में प्राथमिक डिक्री जारी की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट द्वारा जिस नजरी नक्शे को आधार बनाकर वाद पेश किया गया है, वह मौके की स्थिति से भिन्न है। जिस स्थान पर रास्ता दिखाने की कोशिश की है, जबकि उस स्थान पर कोई रास्ता मौजूद नहीं है, बल्कि तथ्यों से विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित करने में कानूनी प्रावधानों का पूर्णतः उल्लंघन किया है। कानूनी रूप से बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा जाकर मौके पर तैयार करवाया जाना लाजमी तथा बाध्यकारी था। परन्तु ऐसा बंटवाड़ा प्रस्ताव न तो तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर जाकर तैयार किया एवं न ही पटवारी आर.आई मौके पर आकर ऐसा बंटवाड़ा प्रस्ताव बनाया। मात्र कागजी तौर पर वादी से सांठ गांठ होने से मौके की स्थिति से भिन्न जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया है जो स्पष्ट तौर से तहसीलदार के पत्र दिनांक 21.01.2021 से स्पष्ट है। उपरोक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव यदि मौके पर तैयार किया जाता तो निश्चित रूप से अपीलांट को जानकारी हो जाती, क्योकि अपीलांट की मौके पर रहवासी ढाणीयां बनी हुई है तथा अपीलांट वहा रहवास भी करता है, उससे बचने के लिए तथा अपीलाधीन निर्णय एकतरफा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तौर पर पारित करने की रुह में गलत रुप से बंटवाड़ा प्रस्ताव बताते हुए निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट वादी द्वारा जिस तथाकथित नजरी नक्शे को प्रदर्शित करवाते हुए इस्तदुआ चाही थी तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव में उसी वादी द्वारा अपने पूर्व के कथनों के भिन्न जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करवाया गया एवं न्यायालय में प्रस्तुत करवा कर डिक्री पारित करवा दी जो स्पष्ट संकेत देता है कि वादी की मंशा एवं राजस्व कर्मचारियों की सांठ गांठ मात्र अपीलांट के हक अधिकारों को समाप्त करने का था। जहॉ तक मौके का प्रश्न है, नजरी नक्शा पूर्णतः मौके से भिन्न है। वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में एक रास्ते का आलामात प्रगट किया है, जिस रास्ते को वादी चालू रखवा कर नये रास्ते का अंकन निर्णय में करवा दिया तथा ऐसे रास्ते का अंकन निर्णय में करवा दिया तथा ऐसे रास्ते को वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण के खाते में दिखा दिया परन्तु अपीलांट का उस रास्ते से कोई सरोकार नहीं रखा तथा मौके पर केवल वादी के लिए उपरोक्त रास्ता बताया, जिसके लिए दिनांक 30.05.2022 को मौके पर आकर कार्यवाही करनी चाही, तब सर्वप्रथम बार निर्णय की जानकारी हुई। कानून का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रत्येक हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए, परन्तु उपरोक्त वाद में किसी भी रुप में सभी पक्षकारों को एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है, ऐसी स्थिति में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। दोनो अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्यक तामील करवाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयां पारित की गई है। दिनांक 30.05.2022 को रेस्पोडेंट मौके पर आकर जोर जबरदस्ती प्रार्थी की भूमि में सें रास्ता निकालने का प्रयास किया तो प्रार्थी ने उन्हें रोका तो अप्रार्थीगण ने अपीलाधीन निर्णय के बारे में बताया तो अविलम्ब प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जाकर उपरोक्त दोनो निर्णय एवं डिक्री की प्रति के लिए आवेदन किया, जिस पर दिनांक 03.06.2022 को नकल प्राप्त हुई, तब सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयों की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। तब प्रार्थी ने प्रथम जानकारी से अंदर म्याद अपील पेश की। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व रेवेन्यु बोर्ड ने अपने निर्णय नजीरो में स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अपील को म्याद के बिंदु पर खारिज नहीं करके मैरिट पर निर्णित किया जाना कानूनन न्यायोचित है तथा यह भी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया ह कि म्याद के बिंदु पर नम्र रूख अपनाते हुए अपील को मैरिट पर निर्णित किया जावे।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुई देरी को न्याय में माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जावे तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गुणावगुण पर दोनो अपीले स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07 जनवरी 2020 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24 फरवरी 2021को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

जवाब में योग्य अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्यक रुप से सम्मन की तामील करवायी गई, फिर भी वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री जमाबंदी में दर्ज हिस्सों के अनुसार ही पारित की है, इसमें किसी भी पक्षकारान् के हक-हिस्से में फेरबदल नहीं किया गया है। अतः प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। तहसीलदार फलोदी द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है तथा सभी पक्षकारान के लिए रास्ते का प्रावधान किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन व अन्य पड़ोसी मौतबिरान् के हस्ताक्षर है जिससे अपीलांट का यह उज्र समाप्त हो जाता है कि विभाजन प्रस्ताव एकतरफा तैयार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार फलोदी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट को रजिस्टर्ड ए डी डाक से सम्मन भेजे गये, जिसकी ए डी बाद तामील प्राप्त हुई। अपीलांट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को समुचित जानकारी होने के बावजूद भी अपीले देरी से प्रस्तुत की है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपीले सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावें।

रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्यक तामील करवायी ही नही गई तथा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर दी गई। विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी संख्या दो व तीन को यह कह कर हस्ताक्षर करवाये गये कि सभी संपतियों का विभाजन करवाया जा रहा है, किंतु केवल खसरा नं. 1299 का ही बंटवाड़ा किया गया जो सरासर गलत है। वादग्रस्त भूमि का मौके पर मौखिक रूप से विभाजन हो रखा है, परन्तु वादी ने उन सब तथ्यों को छुपाते हुए मात्र उपरोक्त भूमि के संबंध में वाद पेश कर एकतरफा कार्यवाही करवा दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना तनकीयात कायम किये निर्णय एवं डिक्रीयां पारित की गई है। अतः उपरोक्त दोनो निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर मामला पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश फरमावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए डी सम्मन के जरिये तलब किये जाने के आदेश पारित किये गये, जिसकी पालना में अपीलांट प्रकाशराम के सम्मन की ए.डी. बाद तामील विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07 जनवरी 2020 में वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1299 में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही निर्णय पारित कर बंटवाड़ा प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में किये जाने के आदेश पारित किये गये है। उक्त निर्णय एवं डिक्री में किसी भी पक्षकारान् के हिस्से में परिवर्तन नहीं किया गया है, जिससे निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में कोई त्रुटि कारित होना नहीं पाया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि वह तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर नियम 18 से 21 की पालना में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स **मौके पर कब्जे काश्त अनुसार तैयार किया गया है।** अपीलांट के उज्र कि विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की नियमावली मुताबिक तैयार नहीं किया गया है, मान्य नहीं है। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से पाया जाता है कि तहसीलदार फलोदी द्वारा सहायक कलक्टर फलोदी के मुकदमा संख्या 270/2019 प्रकाशराम बनाम भारमलराम वगैरा अन्तर्गत धारा 53 के निर्णय दिनांक 07.01.2020 के अनुसार मौके पर पहुंचा। उक्त न्यायालय के निर्णय माफिक वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं प्रतिवादी के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्टतया **पक्षकारान् एवं मौतबिरान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना पाया जाता है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार फलोदी, रेस्पोडेंट/वादी एवं रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन तथा अन्य मौतबिरान् के हस्ताक्षर भी किये गये है तथा प्रत्येक खातेदार के आवागमन हेतु रास्ते का प्रावधान किया जाना पाया जाता है। जिससे अपीलांट का यह उज्र गौण हो जाता है कि तहसीलदार मौके पर नही गये।** अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का भी कोई समुचित कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोनो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह दोनों अपीले सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 387/2019 प्रकाशराम बनाम भारमलराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07 जनवरी 2020 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24 फरवरी 2021 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.12.2022

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
गणपतराम पुत्र देवाराम जी जाति .विश्नोई, निवासी-भीयासर, (जम्भ नगर)फलोदी	ब ना म	1. प्रकाशराम पुत्र देवाराम 2. भारमलराम पुत्र देवाराम 3. जोधाराम पुत्र देवाराम जातियान् विश्नोई निवासीगण-भीयासर जंभसागर फलौदी। 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी।

अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07 जनवरी 2020 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24 फरवरी 2021 राजस्व वाद संख्या 387/2019 प्रकाशराम बनाम भारमलराम इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 14 दिसंबर 2022 रुबरु बहाजरी अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति मिनजानिब अपीलाण्ट एवं श्री पुष्पेन्द्रसिंह, श्री चांद कंवर अधिवक्ता रेस्पोडेंट एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी की उपस्थिति होकर हुक्म हुआ कि यह दोनों अपीले सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 387/2019 प्रकाशराम बनाम भारमलराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07 जनवरी 2020 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24 फरवरी 2021 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रुपये -------------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 14 दिसंबर 2022 को जारी किया गया।

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

14-12-2022

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर